कृषि विज्ञान केन्द्र
Krishi Vigyan Kendra
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

Govind Ballabh Pant University of Agriculture & Technology

Dhakrani – 248142, Dehradun (Uttarakhand)

Phone/Fax: 01360-224378, E-mail: kvkdehradun@gmail.com, www.gbpuat.ac.in

भाकृअनुप
ICAR

Ref No:KVK/DUN/ 38

Date: 15/1/26

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
विश्वविद्यालय वेबसाईट,
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
पन्तनगर

महोदय,

इस पत्र के साथ एक नीलामी (दिनांक 05.02.2026) को विश्वविद्यालय वेबसाईट में 16.01.2026 को प्रकाशन हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि नीलामी सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

धन्यवाद,

संलग्नक:

1. नीलामी सूचना प्रपत्र।
2. नीलामी सूचना शर्तें।

भवदीय,

(ए0के0 शर्मा)
प्रभारी अधिकारी
कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी,
देहरादून

कार्यालय प्रभारी अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र,
ढकरानी, देहरादून

पत्रांक KVK/DUN/39 दिनांक 15/01/2026

नीलामी सूचना

पन्तनगर विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून में यूकेलिप्टिस वृक्षों की नीलामी **दिनांकः 05.02.2026** को दोपहर 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। नीलामी खुली बोली के माध्यम से की जायेगी। नीलामी की शर्तें तथा समस्त जानकारी किसी भी कार्य दिवस में केन्द्र के कार्यालय अथवा पन्तनगर विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.gbpuat.ac.in से प्राप्त की जा सकती हैं।

प्रभारी अधिकारी,
कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी,
देहरादून

कार्यालय प्रभारी अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र,

ढकरानी, देहरादून

पत्रांकः KVK/DUN/40 दिनांकः 15/01/2026

नीलामी की सूचना/ शर्तें

कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी मे स्थित यूकेलिप्टिस वृक्षों की बिकी खुली बोली के माध्यम से **दिनांकः 05.02.2026** को अपराहन् 2:00 बजे **कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून** में की जानी प्रस्तावित है। **इच्छुक बोलीदाता अर्नेस्टमनी डिपोजिट तथा अपने पहचान पत्र की छायाप्रति कार्यालय में दिनांकः 05.02.2026 की दोपहर 12:30 बजे तक जमा कर बोली बोलने हेतु पास (अधिकृत पत्र) प्राप्त कर लें। उसके पश्चात पास नहीं दिया जायेगा। बिना अधिकृत पास के कोई भी व्यक्ति बोली बोलने हेतु अधिकृत नहीं होगा।**

1. बोली/नीलामी में प्रतिभाग करने के इच्छुक व्यक्ति बोली हेतु पास प्राप्त करने से पूर्व बाग का भली–भांति निरीक्षण कर लें तथा बोली हेतु पास लेते समय अपना पहचान पत्र की छायाप्रति तथा अर्नेस्ट मनी (राष्ट्रीय कृत/शैड्यूल/सहकारी बैंक की एफ0डी0/डिमान्ड ड्राफ्ट) केन्द्र पर जमा करें। उनके साथ पहचान पत्र की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।
2. बोली में इच्छुक व्यक्तियों के पहचान पत्र की छायाप्रति तथा अर्नेस्ट मनी केवल व्यक्तिगत रुप से **दिनांकः 05.02.2026 की दोपहर 12:30 बजे तक कार्यालय में जमा की जायेगी तथा बोली हेतु पास दिये जायेंगे, उसके पश्चात पास नहीं दिये जायेंगे। यूकेलिप्टिस के वृक्षों हेतु रू0 1,00,000.00 की अर्नेस्ट मनी जो कि राष्ट्रीय कृत/शैड्यूल/सहकारी बैंक की एफ0डी0/डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप मे होगी तथा प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून के नाम पर बंधक होगी, लगाना अनिवार्य होगा। बिना अर्नेस्ट मनी जमा किये किसी भी व्यक्ति को नीलामी मे प्रतिभाग करने का अधिकार नही होगा। अर्नेस्ट मनी नकद जमा नही की जायेगी।**
3. प्रथम उच्च बोलीदाता द्वारा जमा की गयी अर्नेस्टमनी को छोड़कर शेष की अर्नेस्टमनी वापस कर दी जायेगी।
4. सफल बोलीदाता को उच्चतम राशि की 50 प्रतिशत अग्रिम के रूप मे नीलामी समाप्ति के तुरन्त बाद जमा करना होगा। इस राशि मे पहले जमा की गयी अर्नेस्ट मनी समायोजित नही की जायेगी। यदि सम्बन्धित बोलीदाता 50 प्रतिशत अग्रिम धनराशि जमा करने मे असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अर्नेस्ट मनी

जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय उच्च बोलीदाता की बोली पर विचार किया जा सकता है। सफल बोलीदाता को शेष 50 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करानी होगी।

नीलामी समिति को अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त नीलामी को अस्वीकृत कर दें।

5. सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त ठेकेदार को अवशेष धनराशि जमा करने की सूचना दी जायेगी तथा **ठेकेदार को सूचना जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर अथवा यूकेलिप्टिस वृक्षों का कब्जा लेने से पूर्व जो भी पहले हो ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी।** इस राशि मे केता द्वारा पूर्व मे जमा की गयी अर्नेस्टमनी को समायोजित नही किया जायेगा। यदि केता सम्पूर्ण राशि जमा करने मे असफल रहता है अथवा अवशेष राशि का कोई अंश जमा नही करता है तो शेष अंश राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा। अर्नेस्ट मनी को यूकेलिप्टिस की कटाई समाप्ति के पश्चात नियमानुसार लौटा दिया जायेगा।
6. **यदि अर्नेस्टमनी के रुप में सफल बोलीदाता द्वारा डिमान्ड ड्राफ्ट जमा किया गया हो, तो यूकेलिप्टिस वृक्षों का कब्जा लेने से पूर्व उसे अर्नेस्टमनी के रुप में एफ0डी0आर0 जमा करानी होगी तथा डिमान्ड ड्राफ्ट उसे वापस कर दिया जायेगा।**
7. **नीलामी शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को अपने व्यय पर रू0 100.00 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से एक अनुबन्ध करना होगा।**
8. नीलामी के सम्बन्ध मे किसी वाद–विवाद मे कुलपति महोदय का निर्णय अन्तिम एवं दोनो पक्षों को मान्य होगा।
9. कटाई सामग्री की निगरानी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
10. ठेकेदार अथवा उसके कर्मियों द्वारा केन्द्र अथवा विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पंहुँचाने की दशा मे क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व ठेकेदार को होगा।
11. यूकेलिप्टिस वृक्षों का कब्जा लेने की तिथि से कटाई समाप्ति तक मान्य होगा।
12. ठेकेदार के कब्जा लेने के समय परिसर मे कार्य पर रखने वाले मजदूरों तथा अन्य व्यक्ति का पुलिस वेरिफिकेशन कराकर कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी के कार्यालय मे जमा करना होगा।
13. यह बिक्री केवल केन्द्र के यूकेलिप्टिस वृक्षों तक ही सीमित होगी। ठेकेदार या उसके कर्मियों द्वारा किसी भी दशा मे केन्द्र के आवासीय परिसर के समीप, कार्यालय मे किसी भी तरह के नुकसान पर ठेकेदार के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

14. नीलामी के बाद वृक्षों को शासकीय भवन एवं अन्य भवनों एवं इमारतों बाउण्ड्रीवाल को ध्यान में रखते हुये सुरक्षा की दृष्टि से कटाई का कार्य किया जायेगा। यदि किसी प्रकार की क्षति वृक्षों के काटते समय होगी तो उसकी भरपाई केता को करने के बाद ही वृक्षों का उठान करने दिया जायेगा।

15. नीलामी के समय जो टैक्स, आयकर, स्टाम्प ड्यूटी आदि केता द्वारा वहन किया जायेगा।

16. प्रत्येक बोलीदाताओं को बोली बोलने हेतु दिनांकः 05.02.2026 की दोपहर 12:30 बजे तक कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी देहरादून के कार्यालय में स्वयं के खर्च पर उपस्थित होना होगा।

प्रभारी अधिकारी
कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी, देहरादून

प्रतिलिपिः

1. कृषि विज्ञान केन्द्र, ढकरानी के सूचना पट्ट पर ।
2. नीलामी दाता ।